न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 04/2017 अपील

1. मोती सिंह पिता विशन सिंह राजपूत निवासी तेज्या खेडी तहसील रायपुर 2.पूरण सिंह पिता मोती सिंह राजपूत निवासी तेज्या खेडी 3.धन सिंह पिता मोती सिंह राजपूत निवासी तेज्या खेडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा –अपीलार्थीगण	बनाम	1. नानूराम पिता तुलसीराम ब्राह्मण निवासी नारायण खेडा तहसील रायपुर 2. भोजराज पिता रामलाल गाडरी निवासी तेज्या खेडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा – रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय तहसीलदार रायपुर बप्रकरण सं. 4/2016 निर्णय दिनांक 02.11.2016

उपस्थित –

1. श्री एस.एन.सोमाणी अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री मांगीलाल सेन अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 31.10.2017

अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण / प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251 रा.का.अधि. का इस आशय का प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्टगण / प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार की आराजी ग्राम तेज्याखेडी, तहसील रायपुर में स्थित हैं । जिसके आराजी सं. 425, 423 एवं 411 हैं जिनमें आवागमन हेतु रास्ता 427 जो आबादी भूमि हैं, से होकर अपीलार्थीगण की आराजी सं. 428, 426ख 429,430 की मेड पर होकर आते जाते रहे है। उक्त रास्ते को अपीलाण्टगण ने अवरूद्व कर दिया हैं । इस कारण उक्त रास्ते को खुलासा कराया जावे । रेस्पोडेन्टगण / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलाण्टगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही और अपीलाण्टगण के विधिवत तौर तामिल हुए बिना ही अपीलार्थीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित करते हुए रेस्पोडेन्टगण / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 रा.का.अधि. स्वीकार कर रास्ता खुलासा कराये जाने का आदेश पारित किया गया जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य हैं । धारा 251 रा.का.अधि. के अनुसार कोई प्रार्थना पत्र रास्ता बाबत् प्रस्तुत होता हैं तो प्रथमतः तहसीलदार को प्रकरण ग्राम पंचायत को निस्तारण हेतु भिजवाना जाना चाहिए था । अगर पंचायत 45 दिवस की समय अवधि में कोई

कार्यवाही नहीं करे तो तहसीलदार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होते हैं, लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसी कोई प्रकिया का निर्वहन नहीं किया गया हैं। पंचायत को धारा 251 रा.का.अधि. के तहत कोई प्रकरण प्रस्तुत होता हैं तो पंचायत उसकी कौरम में रखता हैं तथा सरपंच व वार्ड पंच की उपस्थिति में सचिव द्वारा मौका देखा जाता हैं तथा सचिव द्वारा रिपोर्ट तैयार कर निर्णय पारित किया जाता हैं लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसी कोई प्रकिया का निर्वहन नही हुआ हैं। ऐसी स्थिति में जो निर्णय पारित किया गया है वह अपास्त होने योग्य हैं । रेस्पोडेन्टगण / प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 8.9.2016 को प्रस्तुत किया गया , तत्समय धारा 251 ए रा.का.अधि. के प्रावधान प्रभाव में आ गये थे, तदनुसार प्रार्थना पत्र सुनवाई का क्षैत्राधिकार भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को नही होकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने क्षैत्राधिकार से परे जाकर विधिक प्रावधानों की अनदेखी कर जो निर्णय पारित किया है वह अपास्त किये जाने योग्य हैं। रेस्पोडेन्टगण / प्रार्थीगण ने जो रास्ता चाहा हैं , ऐसा कोई रास्ता मौके पर नहीं हैं। मौके पर अपीलाण्टगण की फसल काश्त की हुई है। ऐसी स्थिति में कोई रास्ता नहीं होते हुए भी रास्ता खुलासा बाबत जो निर्णय पारित किया है वह अपास्त होने योग्य हैं । प्रकरण जैर बहस में पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गयी हैं, उसमें भी अपीलाण्टगण को नहीं बुलाया गया तथा न ही उनकी उपस्थिति में मौका ही देखा गया । साबिक नक्शा ट्रेस में कोई डोटेड रास्ता मौजूद नहीं था केवल सेटलमेन्ट के दौरान हाल नक्शा ट्रेस में डोटेड रास्ता दर्ज कर दिये जाने मात्र से ही रास्ता दर्ज नहीं किया जा सकता हैं । जहां रास्ता मौजूद नही हो वहां धारा 251 ए रा.का.अधि. के तहत संबंधित उपखण्ड अधिकारी के यहां आवेदन प्रस्तुत कर नियमानुसार प्रतिकर अदा कर रास्ता दिलाया जाने का प्रावधान हैं जो रेस्पोडेन्टगण / प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक को प्रभाव में थी। ऐसी स्थिति में जब 251 ए के तहत कार्यवाही प्रभाव में थी तथा वर्तमान में भी हैं। दिनांक 30.11.2016 को नकल प्राप्त कर अधिवक्ता से संपर्क कर जानकारी से अन्दर अवधि में अपील प्रस्तुत की जा रही हैं फिर भी जानकारी के अभाव में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु धारा 05 मियाद कानून का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत हैं । अतः निवेदन हैं कि अपील अपीलाण्टगण स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाते हुए रेस्पोडेन्टगण / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 10.01.2017 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड तलब किये गये जो दिनांक 12.05.2017 को प्राप्त हुआ।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलाण्टगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही और अपीलाण्टगण के विधिवत तौर तामिल हुए बिना ही अपीलार्थीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित करते हुए रेस्पोडेन्टगण / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 रा.का.अधि. स्वीकार कर रास्ता खुलासा कराये जाने का आदेश पारित किया गया जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य हैं । धारा 251 रा.का.अधि. के अनुसार कोई प्रार्थना पत्र रास्ता बाबत् प्रस्तुत होता हैं तो प्रथमतः तहसीलदार को प्रकरण ग्राम पंचायत को निस्तारण हेतु भिजवाना जाना चाहिए था । अगर पंचायत 45 दिवस की समय अवधि में कोई कार्यवाही नहीं करे तो

तहसीलदार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होते हैं, लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसी कोई प्रकिया का निर्वहन नहीं किया गया हैं। पंचायत को धारा 251 रा.का.अधि. के तहत कोई प्रकरण प्रस्तुत होता हैं तो पंचायत उसकी कौरम में रखता हैं तथा सरपंच व वार्ड पंच की उपस्थिति में सचिव द्वारा मौका देखा जाता हैं तथा सचिव द्वारा रिपोर्ट तैयार कर निर्णय पारित किया जाता हैं लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसी कोई प्रक्रिया का निर्वहन नही हुआ हैं। ऐसी स्थिति में जो निर्णय पारित किया गया है वह अपास्त होने योग्य हैं । रेस्पोडेन्टगण / प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 8.9.2016 को प्रस्तुत किया गया , तत्समय धारा 251 ए रा.का.अधि. के प्रावधान प्रभाव में आ गये थे, तदनुसार प्रार्थना पत्र सुनवाई का क्षैत्राधिकार भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को नही होकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने क्षैत्राधिकार से परे जाकर विधिक प्रावधानों की अनदेखी कर जो निर्णय पारित किया है वह अपास्त किये जाने योग्य हैं। रेस्पोडेन्टगण / प्रार्थीगण ने जो रास्ता चाहा हैं , ऐसा कोई रास्ता मौके पर नहीं हैं। मौके पर अपीलाण्टगण की फसल काश्त की हुई है। ऐसी स्थिति में कोई रास्ता नहीं होते हुए भी रास्ता खुलासा बाबत जो निर्णय पारित किया है वह अपास्त होने योग्य हैं । प्रकरण जैर बहस में पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गयी हैं, उसमें भी अपीलाण्टगण को नहीं बुलाया गया तथा न ही उनकी उपस्थिति में मौका ही देखा गया । साबिक नक्शा ट्रेस में कोई डोटेड रास्ता मौजूद नहीं था केवल सेटलमेन्ट के दौरान हाल नक्शा ट्रेस में डोटेड रास्ता दर्ज कर दिये जाने मात्र से ही रास्ता दर्ज नहीं किया जा सकता हैं । जहां रास्ता मौजूद नही हो वहां धारा 251 ए रा.का.अधि. के तहत संबंधित उपखण्ड अधिकारी के यहां आवेदन प्रस्तुत कर नियमानुसार प्रतिकर अदा कर रास्ता दिलाया जाने का प्रावधान हैं । निवेदन हैं कि अपील अपीलाण्टगण स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाते हुए रेस्पोडेन्टगण / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे ।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. को तहसीलदार जहाजपुर को प्रस्तुत किया । जिसमें प्रार्थीगण की ग्राम तेज्याखेडी आ.नं. 411, 423, 425 में आने जाने का रास्ता ग्राम तेज्याखेडी की आबादी भूमि ख.नं. 427 में से होकर आ.नं. 428, 429, 430 में होकर आगे श्मशान तक जाता हैं। जिसे मोतीसिंह पिता विशनसिंह राजपूत व पूरणसिंह , धनसिंह पिता मोतीसिंह राजपूत निवासी तेज्याखेडी ने लकड़िया व छडिया डालकर रास्ते को अवरूद्व कर दिया हैं । जिसे खुलासा कराने की प्रार्थना की हैं । प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अनुसार रास्ता कायमी पुराना एवं कदमी होने से प्रार्थी के सुखाधिकार हेतु उक्त रास्ते को खुलासा कराये जाने की प्रार्थना की हैं ।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया जा रहा है। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया । जिसके उपरान्त यह पाया कि तहसीलदार रायपुर ने

प्रकरण सं. 4/16 निर्णय दिनांक 2.11.2016 में नानूराम पिता तुलसीराम ब्राह्मण निवासी नारायण खेडा के प्रार्थना पत्र पर ग्राम तेज्याखेडी की आराजी नम्बर 428,429,430 में स्थित डोटेड लाईन के रूप मे दर्ज रास्ते को खुलासा कराने का आदेश पारित किया गया जो विधि सम्मत है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं । अतएव–

आदेश

अपीलार्थी की अपील सिद्ध नहीं होने से खारिज की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड तहसीलदार रायपुर को प्रेषित की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/10/17

(एल.आर.गुगरवाल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा